पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1367

दिनांक-05.08.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना-कृष्णानगर

आपरेशन कन्विक्शन के तहत लखनऊ पुलिस एवं अभियोजन विभाग के संयुक्त प्रयास से थाना कृष्णानगर लखनऊ में पंजीकृत अभियोग में मा0 न्यायालय स्पेशल जज पाक्सो मेन लखनऊ द्वारा अभियुक्त सुरेश श्रीवास्तव को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 52,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

01-संक्षिप्त विवरण-

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के दृष्टिगत श्री तरूण गाबा, पुलिस आयुक्त लखनऊ व श्रीमती अपर्णा कुमार, संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण व अपराधियों को माननीय न्यायालयों मे अधिकाधिक सजा कराये जाने के दृष्टिगत माननीय न्यायालय मे सघन पैरवी के क्रम में श्री मो0 मुस्ताक, पुलिस उपायुक्त दक्षिणी के कुशल पर्यवेक्षण एवं श्री रल्लापल्ली वसंथ कुमार अपर पुलिस उपायुक्त दक्षिणी तथा श्री अभिषेक कुमार पाण्डेय सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णानगर के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक कृष्णानगर श्री प्रद्युम्न कुमार सिंह के नेतृत्व में लोक अभियोजक श्री अभिषेक उपाध्याय, श्री अरूण कुमार एवं कोर्ट मोहर्रिर हे0का0 प्रवीन कुमार वर्मा, हे0का0 निधेश कुमार, का0 निमेश कुमार तथा थाना स्थानीय के पैरोकार म0का0-सुषमा स्वराज के अथक प्रयास व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना स्थानीय से सजा कराये जाने हेतु चिन्हित अभियोग में माननीय न्यायालय स्पेशल जज पाक्सो मेन लखनऊ के निर्णायक फैसला दिनांक 05.08.2026 सम्बन्धित वाद सं0-716/2019 अन्तर्गत मु.अ.सं. 347/2029 धारा 376,506,120B IPC, ¾ POCSO ACT थाना कृष्णानगर लखनऊ से सम्बन्धित अभियुक्त सुरेश श्रीवास्तव पुत्र स्व0 लक्ष्मी शंकर लाल श्रीवास्तव निवासी 55क/604 कनौसी निकट कालूवीर मंदिर थाना मानकनगर लखनऊ को धारा 376 IPC व ¾ POCSO ACT में दोष सिद्ध करते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास व 50,000/- रूपये के अर्थदण्ड तथा धारा 506 IPC में 03 वर्ष का कठोर कारावास व 2000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

02-नाम व पता अभियुक्त/ सम्बन्धित अभियोग व सजा-

01-सुरेश श्रीवास्तव पुत्र स्व0 लक्ष्मी शंकर लाल श्रीवास्तव निवासी 55क/604 कनौसी निकट कालूवीर मंदिर थाना मानकनगर लखनऊ।

03-फैसला-

वाद सं0-716/2019 अन्तर्गत मु.अ.सं. 347/2029 धारा 376,506,120B IPC, ¾ POCSO ACT थाना कृष्णानगर लखनऊ से सम्बन्धित अभियुक्त सुरेश श्रीवास्तव पुत्र स्व0 लक्ष्मी शंकर लाल श्रीवास्तव निवासी 55क/604 कनौसी निकट कालूवीर मंदिर थाना मानकनगर लखनऊ को को धारा 376 IPC व ¾ POCSO ACT में दोष सिद्ध करते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास व 50,000/- रूपये के अर्थदण्ड तथा धारा 506 IPC में 03 वर्ष का कठोर कारावास व 2000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

पैरवीकर्ता-

01. प्रभारी निरीक्षक श्री प्रद्युम्न कुमार सिंह, थाना कृष्णानगर लखनऊ।
02. म0कां0-सुषमा स्वराज, थाना कृष्णानगर लखनऊ।
03. श्री अभिषेक उपाध्याय, श्री अरूण कुमार (लोक अभियोजक)।
04. हे0कां0 प्रवीन कुमार वर्मा, हे0का0 निधेष कुमार, का0 निमेश कुमार (कोर्ट मोहर्रिर)।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1362
दिनांक-05.08.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना-सुशान्त गोल्फ सिटी

- **थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ द्वारा अवैध शस्त्र (देशी तमंचा) रखने वाला 01 अभियुक्त को चेकिंग के दौरान किया गया गिरफ्तार।**

01-कार्यवाही विवरणः-

श्रीमान पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ तरुण गाबा व संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय अपर्णा कुमार के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियो के लिए चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) मोहम्मद मुश्ताक के कुशल पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) रल्लापल्ली वसंथ कुमार व सहायक पुलिस आयुक्त गोसाईगंज ऋषभ यादव के मार्गदर्शन में एवं प्रभारी निरीक्षक थाना सुशान्त गोल्फ सिटी राजीव रंजन उपाध्याय के नेतृत्व में चेकिंग के दौरान अवैध शस्त्र(देशी तमंचा) रखने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

02-घटना का संक्षिप्त विवरणः-

- दिनाँक-04.08.2026 को उच्चाधिकारियों द्वारा स्टंटबाजी करने वाले बाइकर्स, तीन सवारी मोडिफाइड साइलेंसर, हूटर एवं संदिग्ध मोबाइल स्नैचर व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग किये जाने के आदेश के अनुपालन में थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस टीम अटल बिहारी बाजपेई यूनिवर्सिटी चौराहे के पास संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग की जा रही थी।
- तत्पश्चात एक मोटरसाइकिल स्वाती अपार्टमेन्ट की ओर से अटल बिहारी यूनिवर्सिटी चौराहा की ओर आ रही है मोटरसाइकिल पुलिस टीम को देखकर मोड़कर वापस भागने का प्रयास किया गया तो पुलिस टीम द्वारा उसे दौड़ाकर पकड़ लिया। पकड़े गये व्यक्ति से भागने का कारण पूँछा तो हड़बड़ाते हुए बताया कि साहब मेरे पास एक तमंचा है, जिस कारण पकड़े जाने के डर से भाग रहा था।
- तत्पश्चात वादी उ0नि0 हिमांचल सिंह थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ द्वारा दिये गये तहरीर के आधार पर थाना सुशान्त गोल्फ सिटी में मु0अ0सं0-504/2026,धारा-3/25 आर्म्स एक्ट बनाम मनीष रावत उम्र करीब 25 वर्ष पुत्र श्री तेजनारायण रावत निवासी ग्राम खुर्दही बाजार बक्कास थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को हिरासत पुलिस में लेकर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है तथा घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल को 207 MV एक्ट में सीज किया गया।

03-पूछताछ विवरणः-

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त द्वारा बताया गया कि साहब मैं बाराबंकी में एक शादी में गया था वापसी आते समय रास्ते में आप के द्वारा चैकिंग के दौरान मुझे पकड़ लिया गया। साहब मुझसे गलती हो गयी, मुझे माफ कर दीजिए।

04-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरणः-

01-मनीष रावत पुत्र श्री तेजनारायण रावत निवासी ग्राम खुर्दही बाजार बक्कास थाना सुशान्त गोल्फ सिटी जनपद लखनऊउम्र करीब 25 वर्ष।(व्यवसाय- मजदूरी)

05-बरामदगीः-

- 01 अददअवैधदेशी तमंचा .315 बोर
- 04 अदद जिन्दा कारतूस
- 01 अदद मोटरसाईकिल बरामद।

06-पंजीकृत अभियोग-

01-मु0अ0सं0-504/2026 धारा धारा3/25 आर्म्स एक्ट थाना सुशान्त गोल्फ सिटी कमिश्नरेट लखनऊ।

07-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

- थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस टीम, कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1361

दिनांक-05.08.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना-निगोहाँ

- **घरेलू विवाद में हुई मारपीट के दौरान घायल व्यक्ति की उपचार के दौरान मृत्यु के प्रकरण में थाना निगोहां पुलिस ने अभियुक्त एवं अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार।**

01-कार्यवाही विवरणः-

श्रीमान पुलिस आयुक्त, लखनऊ श्री तरुण गाबा व संयुक्त पुलिस आयुक्त श्रीमती अपर्णा कुमार के निर्देशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस उपायुक्त दक्षिणी श्री मो0 मुश्ताक के कुशल पर्यवेक्षण, अपर पुलिस उपायुक्त श्री रल्लापल्ली वसंथ कुमार तथा सहायक पुलिस आयुक्त मोहनलालगंज श्री राजेश कुमार सिंह के प्रभावी मार्गदर्शन एवं थानाध्यक्ष निगोहां श्री रवीन्द्र कुमार के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा थाना निगोहां पर पंजीकृत मु0अ0सं0-104/2026,धारा-115(2)/352/105 बीएनएस 1.अरुण कुमार उर्फ शिवम कुमार, 2.लज्जावती को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त/ अभियुक्ता के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

02-संक्षिप्त विवरणः-

- दिनांक-04.08.2026 को थाना निगोहां पर सूचना प्राप्त हुई कि कैलाश चन्द्र पुत्र स्व0 राम प्यारे निवासी ग्राम मीरकनगर, थाना निगोहा, जनपद लखनऊ उम्र 54 वर्ष की मृत्यु हो गई है। सूचना प्राप्त होते ही थाना निगोहा पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तथा जांच के दौरान प्राप्त तथ्यों से ज्ञात हुआ कि 03 अगस्त 2026 की देर शाम कैलाश चन्द्र, जो शराब पीने का आदि था, नशे की अवस्था में घर पहुँचा। घरेलू बातों को लेकर उसकी पत्नी एवं पुत्र के साथ विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर दोनों ने उसके साथ मारपीट की, घायल अवस्था में उसका उपचार इन्दौर हॉस्पिटल, लखनऊ में कराया जा रहा था, जहाँ उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।
- वादिनी श्रीमती रामपति पत्नी स्व0 रामप्यारे निवासिनी ग्राम मीरक नगर थाना निगोहाँ लखनऊ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना निगोहा पर मु0अ0सं0-104/2026,धारा-115(2)/352/105 बीएनएस पंजीकृत किया गया है।
- घटना के सफल अनावरण एवं अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस उपायुक्त दक्षिणी के निर्देशन में 02 पुलिस टीम का गठन किया गया । गठित पुलिस टीम द्वारा तकनीकी एवं भौतिक साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण 1.श्रीमती लज्जावती 2. अरुण कुमार उपरोक्त को आज दिनांक-05.08.2026 को अभियुक्त/अभियुक्ता को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया ।

03-पूछताछ विवरणः-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त अरुण कुमार उपरोक्त ने बताया कि उसके पिता रेलवे विभाग में वार्ड बॉय के पद पर कार्यरत थे तथा शराब पीने के आदी थे। शराब के सेवन को लेकर घर में अक्सर विवाद होता था। घटना वाले दिन भी इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया, जिसके दौरान उसने एवं उसकी माँ ने मिलकर कैलाश चन्द्र के साथ मारपीट की और उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई, साहब हमे माफ कर दो हमसे गलती हो गयी ।

04-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरणः-

1. अरुण कुमार उर्फ शिवम कुमार गौतम पुत्र कैलाश चन्द्र नि0 ग्राम मीरक नगर थाना निगोहाँ लखनऊ उम्र 22 वर्ष।
2. लज्जावती पत्नी कैलाश चन्द्रनि0 ग्राम मीरक नगर थाना निगोहाँ लखनऊ उम्र 45 वर्ष।

05-अनावरित अभियोग का विवरणः-

01-मु0अ0सं0-104/2026, धारा 115(2)/352/105 बीएनएसथाना निगोहाँ जनपद लखनऊ।

06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री मनीष कुमार
2. का0 धीरज कुमार
3. म0का0 बॉबी

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1365..
दिनांक-05/08/2026

जोन-उत्तरी/थाना- सैरपुर

- **महिला को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-सक्षिप्त विवरण:-

दिनाँक 04/08/2026 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर उपस्थित आकर प्रार्थना पत्र दिया गया कि अभियुक्त द्वारा मुझे शादी का झांसा देकर मेरे साथ दुष्कर्म किया गया है। वादिनी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 92/2026 धारा 69 बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया।

दिनांक 05/08/2026 को थाना सैरपुर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त शिवराम यादव उर्फ विवेक यादव पुत्र स्व0 राम सागर यादव उम्र लगभग 23 वर्ष निवासी कमलानगर थाना जानकीपुरम लखनऊ की गिरफ्तारी हेतु थाना स्तर से टीम गठित कर लगातार तलाश की जा रही थी।

आज दिनांक 05/08/2026 को जरिये मुखबिर खास सूचना प्राप्त हुई कि जिस अभियुक्त की तलाश आप द्वारा की जा रही है वह सीतापुर रोड़ पर दूध मण्डी के पीछे मौजूद है यदि जल्दी किया जाये तो पकड़ा जा सकता है। मुखबिर द्वारा बताये गये व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पकडे गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना शिवराम यादव उर्फ विवेक यादव उपरोक्त बताया। अभियुक्त को कृत्य का बोध कराते हुए मा0 सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों निर्देशों का पालन करते हुए पुलिस हिरासत में लिया गया। विधिक कार्यवाही को पूर्ण कर अभियुक्त उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थाना व जनपद से जानकारी की जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण—

01-शिवराम यादव उर्फ विवेक यादव पुत्र स्व0 राम सागर यादव उम्र लगभग 23 वर्ष निवासी कमलानगर थाना जानकीपुरम लखनऊ (वाहन चालक)

03-अनावरित अभियोग-

01-मु0अ0सं0 92/2026 धारा 69 भा0न्या0सं0, 2023 थाना सैरपुर लखनऊ

04-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

सैरपुर पुलिस टीम

1.थानाध्यक्ष श्री मनोज कुमार कोरी
2.उ0नि0 श्री अनुराग गोस्वामी
3.का0 दिलीप द्विवेदी
4.का0 राम निवास
5.का0 लव कुमार
6.म0का0 रेखा रानी

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1364.

दिनांक-05/08/2026

जोन-उत्तरी/थाना- माल

- **थाना माल पुलिस टीम द्वारा 02 वारण्टी/ अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**

01-सक्षिप्त विवरण:-

माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम लखनऊ द्वारा निर्गत गैर जमानती वारंट वाद संख्या 124175/22 मु0अ0सं0 404/22 धारा 323/504 भादवि थाना माल जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 02 नफर वारण्टी 1- खुशीराम पुत्र रामप्रसाद 2- कल्लू पुत्र रामप्रसाद नि0 गण ग्राम थावर थाना माल जनपद लखनऊ को मुखबिर खास की सूचना पर वारण्टी के घर ग्राम थावर माल से गिरफ्तार किया गया, वारंटी उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय से अग्रिम एवं विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-वांरट का विवरण-

वाद सं0-124175/22 मु0अ0सं0 404/22 धारा 323/504 भादवि थाना माल लखनऊ)

03-गिरफ्तार वारण्टी का विवरण:

1- खुशीराम पुत्र रामप्रसाद नि0 ग्राम थावर थाना माल जनपद लखनऊ उम्र 50 वर्ष (मजदूरी)

2- कल्लू पुत्र रामप्रसाद नि0 ग्राम थावर थाना माल जनपद लखनऊ उम्र 35 वर्ष (मजदूरी)

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम थाना माल जनपद लखनऊ

1. उ0नि0 श्री गिरीश दत्त पाण्डेय
2. उ0नि0 श्री ओंकार नाथ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0- 1366
दिनांक- 05.08.2026

जोन-पश्चिमी / थाना-चौक

- **थाना चौक पुलिस द्वारा स्कूली वैन में तोडफोड करने वाले 04 नफर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **घटना में प्रयुक्त बाइक मो0सा0 बरामद ।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक **03.08.2026** को चरक चौराहा, थाना चौक क्षेत्र में वादी की ईको वैन में तोड़फोड़ की घटना के संबंध में थाना चौक पर **मु0अ0सं0-0168/2026 धारा 131/351(2)/324(4) बीएनएस** पंजीकृत किया गया।

उक्त प्रकरण में **सीसीटीवी फुटेज के आधार पर प्रकाश में आए** अभियुक्तगण को दिनांक 05.08.2026 को चरक चौराहा के पास से गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई है।

02-पंजीकृत अभियोग (अनावरित अभियोग)-

1.मु0अ0सं0- 168/2026 धारा 131/351(2)/324(4) बीएनएस थाना चौक लखनऊ

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1- संदीप राजपूत पुत्र संतोष कुमार राजपूत निवासी ग्राम मलझा पोस्ट धौरा थाना हसनगंज जनपद उन्नाव उम्र 22 वर्ष
2- बृजेश राजपूत पुत्र पप्पू राजपूत निवासी ग्राम मलझा पोस्ट धौरा थाना हसनगंज जनपद उन्नाव उम्र 18 वर्ष
3- नितिन पुत्र भैय्या लाल निवासी ग्राम मलझा पोस्ट धौरा थाना हसनगंज जनपद उन्नाव उम्र 19 वर्ष
4- अनुज कुमार पुत्र छंगा ग्राम मलझा पोस्ट धौरा थाना हसनगंज जनपद उन्नाव उम्र 19 वर्ष

04-बरामदगी-

- घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल सं. UP32QV4084 बरामद। (धारा 207 एमवी एक्ट में सीज)

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री नागेश उपाध्याय थाना चौक लखनऊ।
2. उ0नि0 श्री लवलेन्द्र सिंह, चौकी प्रभारी चरक थाना चौक लखनऊ
3. उ0नि0 श्री जयकृष्ण द्विवेदी, चौकी प्रभारी चौक थाना चौक लखनऊ
4. उ0नि0 श्री भूपेन्द्र सिंह चौकी प्रभारी पुलगामा थाना चौक लखनऊ।
5. उ0नि0 श्री योगेन्द्र यादव थाना चौक लखनऊ
6. आरक्षी विक्रम सिंह, थाना चौक लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1362

दिनांक-05.08.2026

क्राइम ब्रांच/ थाना ए0एच0टी0 कमि0 लखनऊ

अवैध रूप से नवजात शिशु का हस्तांतरण, फर्जी चिकित्सीय अभिलेख तैयार कर कानूनी दत्तक ग्रहण प्रक्रिया को दरकिनार करने वाले प्रकरण के सम्बन्ध में प्रगति आख्या

01-कार्यवाही-

श्रीमान तरूण गाबा पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट लखनऊ के निर्देशन तथा श्रीमती अपर्णा कुमार संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय), श्री अनिल कुमार यादव पुलिस उपायुक्त अपराध, श्रीमती किरन यादव अपर पुलिस उपायुक्त अपराध एवं सहायक पुलिस आयुक्त (अपराध) के पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना एएचटी, थाना गुडम्बा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा एक अत्यंत संवेदनशील प्रकरण का सफल अनावरण किया गया है, जिसमें प्रथम दृष्टया नवजात शिशु का विधिक प्रक्रिया का पालन किए बिना हस्तांतरण किए जाने तथा अस्पताल के अभिलेखों में वास्तविक प्रसूता के स्थान पर अन्य महिला का नाम अंकित कर फर्जी चिकित्सीय अभिलेख तैयार किए जाने के तथ्य प्रकाश में आए हैं।

02-संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 03.08.2026 को प्राप्त सूचना के अनुसार थाना गुडम्बा क्षेत्र स्थित सेंट मेरी पॉलीक्लिनिक में जन्मे एक नवजात शिशु को जन्म के उपरांत उसकी जैविक माता से अलग कर दूसरी महिला को सौंप दिया गया तथा अस्पताल के अभिलेखों में वास्तविक प्रसूता के स्थान पर अन्य महिला का नाम दर्ज किया गया। सूचना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल थाना एएचटी एवं थाना गुडम्बा की संयुक्त टीम गठित कर जांच प्रारम्भ की गई।

जांच के दौरान रेनू शर्मा नामक महिला के पास से नवजात शिशु प्राप्त हुआ। पूछताछ में रेनू शर्मा ने स्वीकार किया कि उक्त शिशु उसका जैविक बच्चा नहीं है तथा उसे आरती देवी से प्राप्त हुआ है। इसके पश्चात आरती देवी से पूछताछ की गई, जिसमें उसने बताया कि उसके पूर्व से तीन बच्चे हैं तथा संतान न होने के कारण उसने अपना नवजात शिशु रेनू शर्मा को सौंप दिया। जांच में यह भी प्रकाश में आया कि अस्पताल में वास्तविक प्रसूता के स्थान पर अन्य महिला के नाम से प्रसव संबंधी दस्तावेज तैयार किए गए थे। उक्त तथ्यों की निष्पक्ष एवं वैज्ञानिक विवेचना की जा रही है।

03-अभियोग की प्रगति-

प्रथम दृष्टया उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर थाना गुडम्बा पर मु0अ0सं0 306/2026 धारा 318(2), 319(2), 336(3) तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 80 एवं 81 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। दोनों अभियुक्ता का मेडिकल कराया गया है। नवजात बच्चे को प्राग नारायण रोड हजरतगंज स्थित बाल शिशु गृह में रखा गया है। अन्य जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि अभियुक्ता रेनू शर्मा गृहणी व

अभियुक्ता आरती देवी मजदूरी करती है। प्रकरण में संबंधित चिकित्सकों एवं अस्पताल प्रशासन सहित अन्य व्यक्तियों की भूमिका की विवेचना की जा रही है।

04-वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर होगी विवेचना-

प्रकरण की विवेचना केवल मौखिक बयानों तक सीमित न रहकर वैज्ञानिक एवं डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर की जा रही है। इस क्रम में—

* अस्पताल के मूल अभिलेख, जन्म एवं डिस्चार्ज रिकॉर्ड तथा डिजिटल डेटा का परीक्षण किया जा रहा है।
* संबंधित चिकित्सकों, अस्पताल प्रबंधन एवं कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है।
* दस्तावेजों की विधिक एवं फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है।
* इलेक्ट्रॉनिक एवं वित्तीय साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं।
* आवश्यकता पड़ने पर नवजात शिशु एवं संबंधित व्यक्तियों की **DNA FINGER PRINITING** कराकर जैविक मातृत्व एवं बच्चे की वास्तविक पहचान का वैज्ञानिक परीक्षण कराया जाएगा, जिससे विवेचना निष्पक्ष एवं प्रमाणिक साक्ष्यों के आधार पर पूर्ण की जा सके।
* यह भी जांच की जा रही है कि क्या इस घटना में किसी अन्य व्यक्ति, अस्पताल कर्मी अथवा किसी संगठित नेटवर्क की संलिप्तता है।

नवजात शिशु के सर्वोत्तम हित एवं सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उसे बाल कल्याण समिति (Child Welfare Committee) के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके आदेशानुसार शिशु को राजकीय बाल गृह (शिशु), प्राग नारायण रोड, लखनऊ में सुरक्षित संरक्षण उपलब्ध कराया गया है।

05-दत्तक ग्रहण (Adoption) के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य-

भारत में किसी भी बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया केवल किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 तथा केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) द्वारा निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से ही संपन्न की जा सकती है। किसी भी नवजात अथवा बालक को निजी समझौते, फर्जी दस्तावेज, अस्पताल अथवा किसी बिचौलिये के माध्यम से सीधे किसी अन्य व्यक्ति को सौंपना कानूनन मान्य नहीं है।

ऐसी अवैध प्रक्रिया न केवल बच्चे की वास्तविक पहचान, उसके जन्म संबंधी अभिलेख एवं नागरिक अधिकारों को प्रभावित करती है, बल्कि भविष्य में उसकी वैधानिक पहचान, उत्तराधिकार, अभिभावकत्व तथा अन्य संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों पर भी गंभीर प्रभाव डाल सकती है। इसी कारण ऐसे मामलों को कानून अत्यंत गंभीरता से लेता है तथा इनके विरुद्ध कठोर दंड का प्रावधान किया गया है।

06.अभियुक्तगणों का नाम व पता:-

1-रेनू शर्मा पत्नी शिव कुमार शर्मा उम्र करीब 46 वर्ष निवासी 03 शान्ति बिहार, थाना गुड़म्बा लखनऊ- गृहणी
2-आरती देवी पत्नी राजेश उम्र करीब 42 वर्ष निवासी कंचनपुर मार्ग बहादुरपुर, थाना गुड़म्बा लखनऊ- मजदूर
3-डा0 शालू सेंट मैरी पालीक्लीनिक थाना गुड़म्बा लखनऊ।

4-डा0 विनोद व अस्पताल प्रशासन सेंट मैरी पालीक्लीनिक थाना गुड़म्बा लखनऊ।

जनसामान्य से अपील-

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ आमजन से अपील करता है कि यदि कोई दंपत्ति किसी बच्चे को गोद लेना चाहता है, तो वह केवल किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं **केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA)** द्वारा निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से ही दत्तक ग्रहण करें। किसी भी निजी समझौते, फर्जी दस्तावेज, अस्पताल, नर्सिंग होम अथवा बिचौलिये के माध्यम से बच्चे का हस्तांतरण कानूनन अपराध है।

यदि किसी अस्पताल, नर्सिंग होम, बिचौलिये अथवा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा नवजात अथवा किसी भी बच्चे के अवैध हस्तांतरण, अवैध दत्तक ग्रहण, फर्जी अभिलेख तैयार करने अथवा मानव तस्करी (Human Trafficking) से संबंधित किसी भी गतिविधि की जानकारी प्राप्त हो, तो इसकी सूचना तत्काल निकटतम पुलिस थाना, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 अथवा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU), लखनऊ हेल्पलाइन नम्बर 7839861034 पर दें- **किरन यादव, IPS अपर पुलिस उपायुक्त अपराध, कमिश्नरेट लखनऊ।**